चाहिए मनरेगा के लिए अधिक राशि लेकिन मिल रही जरूरत से कम

एसए शाद ● पटना

मनरेगा के तहत प्रदेश को लगातार आवश्यकता से कम राशि मिल रही है। पिछले चार सालों में केवल एक वर्ष ही दो हजार करोड़ से अधिक की राशि मिल पाई है, जबकि प्रदेश में इसके अतिरिक्त करीब एक हजार करोड़ रुपये और खर्च करने की क्षमता है। कम राशि मिलने के चलते लेबर बजट में तय मानव दिवस का सृजन नहीं हो पा रहा। ग्रामीण विकास विभाग का मानना है कि अगर पर्याप्त राशि मिले तो मजदूरों को पर्याप्त काम उपलब्ध करा पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों में इसके तहत चलने वाली योजनाओं की संख्या बढ़ाई गई है। नतीजे में इस योजना के तहत पहले से अधिक राशि खर्च की जा सकती है। प्रदेश की राशि खर्च करने की क्षमता पांच साल पूर्व करीब 2200 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3,000 करोड़ रुपये हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले माह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से मुलाकात कर राज्य को मनरेगा की बकाया राशि नहीं मिलने का भी मसला उठाया था। इस पहल के पश्चात केंद्र सरकार ने तुरंत ही 491 करोड़ रुपये रिलीज किए थे, जबकि कुल बकाया राशि 707.24 करोड़ रुपये की थी।

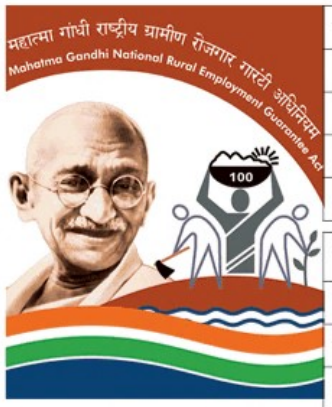

- पिछले कुछ सालों में आवश्यकता का 50 प्रतिशत ही मिला पैसा
- पूरे दम से चले योजनाएं तो लग सकता पलायन पर ब्रेक

पिछले कुछ सालों में केंद्र से मिली राशि	
2015-16	1024 करोड़
2016-17	1569 करोड़
2017-18	2176 करोड़
2018-19	1521 करोड़

दो सालों की बकाया राशि	
2017-18, मजदूरी	42.11 करोड़
सामग्री एवं प्रशासनिक	215.11 करोड़
2018-19, मजदूरी	360.64 करोड़
सामग्री एवं प्रशासनिक	346.60 करोड़
कुल	707.24 करोड़
केंद्र से मिले	491 करोड़

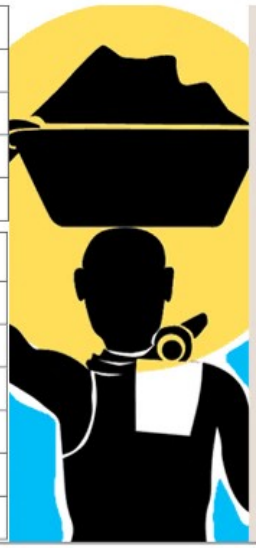

मनरेगा के तहत आरंभ की गई नई योजनाएं

- मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन एवं गाय पालन के लिए शेड का निर्माण
- गांवों में जल संचय के लिए तालाब, पोखर एवं आहर- पईन की उड़ाही
- शेड निर्माण एवं सौंदर्यीकरण
- प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय की चहारदीवारी का निर्माण
- हर पंचायत में खेल का मैदान
- निजी भूमि पर पौधा लगाने एवं उनकी देखरेख

लेबर बजट (मानव दिवस में)		
वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	937.90 लाख	670.12 लाख
2016-17	1425 लाख	858.36 लाख
2017-18	1250 लाख	817.77 लाख
2018-19	900 लाख	566.98 लाख(अब तक)

हम समय पर काम कर रहे हैं। अबतक 566 लाख से अधिक मानव दिवस का सृजन हो चुका है। समय पर राशि नहीं मिलने के कारण हम निर्धारित 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं कर पाते। विलंब से भुगतान के कारण अब तक दंड के रूप में हमें 1.85 करोड़ रुपये भुगतान करने पड़े हैं।

श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री